

(19)

अंगल अधिकारी जी क्रिष्ण
अभिलेख वाद संख्या- 204 (VII) 2018-19.

वाद का प्रकार- विहार (आरखण्ड) गृहि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाच एवं कार्रवाई रो संदर्भित।

2.4.18.

शारखण्ड सरकार के इमार्क-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सुधार विभाग का पञ्च संख्या- ३-खामोनिति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिषद संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमरुआ खास भूमि की कायम की गयी जागवदियों की जाच प्राप्ति की गयी। जाच के स्थान में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अधिनियमाधारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि -

नौजा-डोमनडौट, थाना- 168, खाता संख्या- 19, प्लॉट संख्या- ८८, रकवा- —, एकड़ की भूमि जो गैरमरुआ खास, अनावाद विहार (आरखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जागवदी उस नौजा के पंजी-॥ ५१ के जिल्द संख्या- ५१ के पृष्ठ संख्या- 25, मर जागवदी रैयत मुकु महत्व के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंगत निरिक्षक द्वारा जांचांपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विलक्षण कायम जागवदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंगत निरिक्षक द्वारा समर्पित जाच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जागवदी विना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अंगत वदावरती के आधार पर/ अवैध कोडकर वदोवरती के अधार पर/ अवैध लगान निधारण के अधार पर/ जाता हुयुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजों लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी को जागीर वी सृजित जागवदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका विहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाच किया जाना वाचीनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संवेदित जागवदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संवेदित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृष्ठा करे, कि क्यों नहीं उक्त जागवदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद करने हेतु अनुरूपित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 11.4.18, को उपर्याप्ति करें।
लेखापित एवं संशोधित
अंगल अधिकारी

11/4/18
अंगल अधिकारी

दिनांक

11.4.18.

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस तामिला प्राप्त हुआ। नोटिस के आलोक में निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित दस्तावेजो/निर्गत लगान रसीद की प्रति एंव अन्य राजस्व दस्तावेजो की प्रति समर्पित किया हैं/नहीं किया हैं, जो अभिलेख में संलग्न है।

अभिलेख दिनांक 16.4.18 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर
16/04/18

16.4.18.

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया हैं, कि उपर्युक्त भू-खण्ड गैर आवाद खाता की है। मौजा इंमनडील थाना सं. १४४, ज़िला १९, प्लॉट सं. _____ कुल रकवा— _____ जो जमाबंदी संख्या- २५ में निहित है। जमाबंदी रैयतों के वंशज द्वारा समर्पित साक्ष्य स्वरूप सरकारी भूमि का दस्तावेज वो लगान रसीद के/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर निर्गत लगान रसीद/जबर दखल के आधार पर जमाबंदी कायम की गयी है। प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त विवरणी की भूमि की सृजित जमाबंदी संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है। राजस्व कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा वर्णित जमाबंदी सं. २५ को रद्द करने हेतु जॉच प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया है। अनुशंसित जॉच प्रतिवेदन से से सहमत होते हुए अभिलेख मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर
16/04/18